...यालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

...ठासीन अधिकारी:–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

...द संख्या:–116/2024

जी.सी.एम.एस नं.–2024/233

कश्मीरसिंह पुत्र चैनाराम जाति रामदासिया निवासी चक–4 एल.एस.एम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––––प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील उपस्थित

1. श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट –वादी की ओर से
2. राज पैरोकार –प्रतिवादी की ओर

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

–:: निर्णय ::– **दिनांक–20.01.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक–25 ए.पी.डी (ए) तहसील अनूपगढ़ के खाता सं.–35/9 का पत्थर सं.–304/402 मु.नं.–4 के किला नं.–1 ता 17 की कुल 4.301 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादी कश्मीरलाल पुत्र चैनाराम के नाम से सयुक्तं रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज हैं यह कि वादी का सही व वास्तविक नाम कश्मीरसिहं पुत्र चैनाराम है लेकिन वादी का घरेलू नाम उचारण में कश्मीर होने के कारण वादी को घर पर रिश्तेदारी में दोनो नामो कश्मीरलाल व कश्मीरसिहं के नाम से जानते व पुकारते थे यह कि वादी यहां यह स्पष्ट करना उचित समझता है कि उक्त कृषि भूमि वादी एवं अन्य वारिसान को वादी के पिता चैनाराम की मृत्यु उपरांत विरास्तन प्राप्त हुई थी वादी व उसका परिवार ग्रामीण परिवेश के काश्तकार पेशा व्यक्ति है वारिसनामा तैयार करते समय सहबन से वादी का नाम कश्मीरलाल अंकित करवा दिया तत्पश्चात पंजीकृत दस्तावेज दस्तबदरी लिखते वक्त सहबन से दस्तावेज लेखक द्वारा वादी का घरेलु नाम कश्मीरलाल दर्ज कर दिया गया था और उसी आधार पर आगे दस्तबदारी के आधार पर वादी के नाम से इंतकाल दर्ज करते समय उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कश्मीरसिहं के स्थान पर कश्मीरलाल दर्ज हो गया था इस प्रकार उक्त भूमि का दस्तावेज दस्तबदारी लिखवाते समय सहबन से दस्तावेज लेखक द्वारा शब्दो के उच्चारण की भूलवश वादी का घरेलू नाम कश्मीरलाल पुत्र चैनाराम दर्ज कर दिया गया था तत्पश्चात वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कश्मीरलाल पुत्र चैनाराम के नाम से दर्ज हुआ जो कि एक सदभाविक व मानवीय भुल है यह कि वादी का सही व वास्तविक नाम कश्मीरसिहं पुत्र चैनाराम है तथा वादी के आधार कार्ड,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 18:39:56 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि जिनकी प्रतियां संलग्न है, वादी का नाम कश्मीरसिंह पुत्र चैनाराम ही दर्ज है लेकिन वादी के घर में वादी को उसके घरेलू नाम कश्मीर लाल के नाम से पुकारते थे इसलिए वारिसनामा बनवाते समय तत्पश्चात पंजीकृत दस्तावेज दस्तबदारी लिखवाते समय दस्तावेज लेखक द्वारा सहवन से वादी का घरेलू नाम कश्मीरलाल दर्ज कर दिया गया था जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम कश्मीरसिंह ही है इस प्रकार कश्मीरलाल व कश्मीरसिंह वादी के ही नाम है तथा वादी को इन दोनों नामों से ही जाना व पुकारा जाता है जिस सम्बंध में ग्राम पंचायत 4 के एस एम बाण्डा द्वारा भी दिनांक 14.06.2024 को पहचान पत्र जारी कर दिया गया है यह कि वादी जो कि ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। वादी को पूर्व में उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नहीं था अब वादी उक्त कृषि भूमि की गिरदावरी तैयार करवाने के सम्बंध में अरसा 3 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने रिकार्ड देखकर बताया कि आपका यानि कश्मीरसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है बल्कि आपका नाम राजस्व रिकार्ड में कश्मीरलाल दर्ज है जिस पर वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि उसका सही नाम कश्मीरसिंह है और घर पर उसे उसके घरेलू नाम कश्मीरलाल के नाम से बुलाते है और कश्मीर लाल व कश्मीर सिंह दोनों नाम मेरे ही है तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय न्यायालय में चाराजोही करने के लिए कहा जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है यह कि वादी का सही व वास्तविक नाम कश्मीरसिंह पुत्र चैनाराम है लेकिन सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में उसके घरेलू नाम कश्मीरलाल दर्ज हो गया है जो कि एक सदभाविक एवं मानवीय भुल है भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में नाम अलग-2 होने के कारण वादी को काफी मुशकिलात का सामना करना पड रहा है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप से कश्मीर लाल दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेज इत्यादि में वादी का नाम कश्मीरसिंह पुत्र चैनाराम दर्ज है जिससे वादी को भविष्य में अपने हिस्सा की कृषि भूमि के सम्बंध में बैंक इत्यादि से लोन आदि लेने मे वादी को काफी दिक्कत एवं परेशानीयों का सामना करना पडेगा। इसलिए भी न्यायहित मे राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से गलत दर्ज हुए नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में वादी को दो अलग-अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानीयों का सामना ना करना पड़े और वादी अपने सही व वास्तविक नाम कश्मीरसिंह पुत्र चैनाराम के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके इसलिए वादी को माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है फलस्वरूप वादी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड रहा है अतः [illegible] कि वादी का वाद पत्र स्वीकार कर वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी [illegible] जाये। इस अमर की घोषणात्मक डिक्री पारितकी दजावे कि [illegible] रिकार्ड [illegible] 2025 में दर्ज कृषि भूमि चक-25 ए पी डी (ए) तहसील अनूपगढ़ के [illegible] स-304/402 मु.न.-4 के किला नं. 1 ता 17 की कुल 4.301 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि जो कश्मीरलाल पुत्र चैनाराम के नाम से 1/4 हिस्सा दर्ज है, के संबंध में वादी के खातेदार अधिकार की घोषणा की जाकर इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 18:39:56 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

...वादी कश्मीरसिंह पुत्र चैनाराम के नाम की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाकर प्रतिवादी ... रिकार्ड में वादी का नाम कश्मीरसिंह पुत्र चैनाराम दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करें।

...वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जवाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनूपगढ़ चक 25 ए.पी.डी का पत्थर नं. 304/402 का 4.301 हैक्टर कमाण्ड/अकमाण्ड रकबा के संयुक्त खाते में से वादी का नाम कशमीरलाल पुत्र चैनाराम के हिस्सा 1/4 खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का 4 एलएसएम के वादी का वास्तविक नाम कश्मीरसिंह है ग्राम में आम बोल चाल वादी को कश्मीरसिंह के नाम से जाना जाता है तथा ग्राम पंचायत 4 केएसएम बाण्डा द्वारा जारी पहचान पत्र दिनांक 14.05.2024 व अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम कश्मीरसिंह है अतः वादी का नाम कशमीरलाल के स्थान पर कश्मीरसिंह किये जाने की अनुशंषा की है एवं ग्राम पंचायत 4 केएसएम (बाण्डा) जारी प्रमाण-पत्र के अनुसार कश्मीरलाल पुत्र चैनाराम व कश्मीर सिंह पुत्र चैना राम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम हैं वादी के रोजमर्रा में काम आने वाले दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पहचान-पत्र ,परिवार राशन कार्ड व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी का नाम कश्मीरसिंह पुत्र चैनाराम है अतः वादी का नाम कश्मीरलाल पुत्र चैनाराम की जगह पर कश्मीरसिंह पुत्र चैनाराम की दुरुस्ती की जानी उचित हैं रिपोर्ट के साथ वादी स्वय का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत 4 केएसएम वर्ष 2024 मे जारी प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट कमांक-भू.अ./2024/4192 दिनांक-11.12.2024, ग्राम पंचायत 4 केएसएम वर्ष-2024 मे जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर वादी का नाम कश्मीरलाल पुत्र चैनाराम के स्थान पर कशमीरलाल उर्फ कश्मीरसिंह पुत्र चैनाराम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है अत एव वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

-:: आदेश ::-

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक-25 ए.पी.डी (ए) का पत्थर नं.-304/402 का मुरब्बा नं.-4 4.301 हैक्टर वादी का हिस्सा 1/4 खातेदार कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में **वादी का नाम कशमीरलाल पुत्र चैनाराम के स्थान पर कशमीरलाल उर्फ कश्मीरसिंह पुत्र चैनाराम का अंकन किया जावें।** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को ... नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज **दिनांक-20.01.2025** को ... न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.04.28 18:39:56 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़